5/5/26

पत्रावली पेश हुई। स0 पत्र 07 R11 (अ) अतिरिक्त
नोटिस 5 से 12 तामील किया जाकर प्राप्त
वापिस प्राप्त किया जाता है किन्तु निर्णय
प्रकरण के निस्तारण जाकर आवश्यक कार्यवाही किया
गया। पत्रावली पेश सुनवाई होकर नकल से बाद
होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

सुगनबाई उम्र 50 साल पुत्री जग्गू पत्नी जमुनालाल जाति माली निवासी इण्डेन गैस गोदाम के पीछे, करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह उम्र 45 साल पुत्र जग्गु
2. उमराव सिंह उम्र 43 साल पुत्र जग्गू
3. लखपत उम्र 32 साल पुत्र जग्गू
4. विष्णु उम्र 30 साल पुत्र जग्गु
5. रमले उम्र 75 साल पुत्र मूला
6. सरस्वती उम्र 70 साल पत्नी हरी
7. निरंजन उम्र 48 साल पुत्र हरी
8. विजयसिंह उम्र 44 साल पुत्र हरी
9. धनसिंह उम्र 42 साल पुत्र हरी
10. अमरबाई उम्र 46 साल पुत्री हरी पत्नि हरिसिंह
11. सोमोती उम्र 40 साल पुत्री हरी पत्नि लक्खी
12. विमला उम्र 38 साल पुत्री हरी पत्नि रामस्वरूप
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

जाति माली नि. खादी भण्डार के सामने करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
में
आदेश 7 नियम 11 (d) सीपीसी

मुकदमा नं. 8/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट, श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रतिवादी नंबर 5 लगायत 12 स्वीकार किया जाता है। दावा वादीया वादकारण के अभाव में एवं रेसज्यूडिकेटा होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 5.5.26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–08 / 26 तारीख रजु:–27.02.2026

उनवान

सुगनबाई उम्र 50 साल पुत्री जग्गू पत्नी जमुनालाल जाति माली निवासी इण्डेन गैस गोदाम के पीछे, करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह उम्र 45 साल पुत्र जग्गु
2. उमराव सिंह उम्र 43 साल पुत्र जग्गू
3. लखपत उम्र 32 साल पुत्र जग्गू
4. विष्णु उम्र 30 साल पुत्र जग्गु
5. रमले उम्र 75 साल पुत्र मूला
6. सरस्वती उम्र 70 साल पत्नी हरी
7. निरंजन उम्र 48 साल पुत्र हरी
8. विजयसिंह उम्र 44 साल पुत्र हरी
9. धनसिंह उम्र 42 साल पुत्र हरी
10. अमरबाई उम्र 46 साल पुत्री हरी पत्नि हरिसिंह
11. सोमोती उम्र 40 साल पुत्री हरी पत्नि लक्खी
12. विमला उम्र 38 साल पुत्री हरी पत्नि रामस्वस्प

जाति माली नि. खादी भण्डार के सामने करौली

13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
में
आदेश 7 नियम 11 (d) सीपीसी

–::आदेश::– दिनांक:–05.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 12 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा उक्त उनवानी दावा एवं दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा गलत तथ्यों के आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्णित है। उक्त प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

विवादित आराजीयात के बावत पूर्व में उनवानी दावा "निरंजन बनाम रूपसिंह वगै0" दावा सं0 27/2015 प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें वादिया वाहैसियत प्रतिवादी सं0 5 पक्षकार नही है और वादिया ने उक्त दावा में उपस्थित होकर पैरवी की है तथा एक अन्य दावा उनवानी अमररिंह वगै0 बनाम रूपसिंह वगै0 दावा सं0 29/2015 प्रस्तुत हुआ जिस दावा में वादिया वाहैसियत प्रतिवादी सं0 6 पक्षकार रही जो दोनों ही दावा समेकित निर्णय के द्वारा दिनांक 27.01.2026 को निर्णित कर खारिज कर दिये गये जिनकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष लंबित है। पूर्व के उक्त दोनों दावे इन्हीं आराजीयात के बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् थे लेकिन वादिया ने उक्त दावों को छिपाते हुए यह नवीन वाद प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार चलने योग्य नही है और विधि वर्जित होने से इसी स्तर आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के अधीन खारिज होने योग्य है। अंत में प्रार्थना स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण अप्रार्थीयान द्वारा जवाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादी नं0 5 ता 12 द्वारा जिस तरह तहरीर की गई है, गलत है और स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित जमीनों के संबंध दर0 में दर्ज दावों की व उनके निर्णयों की व अपील लंबित होने से संबधित कोई दस्तावेज पेश नही किये हैं। दस्तावेज के अभाव में दर0 हाजा हर हाल में खारिज होने योग्य हैं। वादिया विवादित जमीनों में सहखातेदार हैं। वादिया शामलाती रूप से विवादित जमीनों पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है और वादिया ने अपनी खातेदार हकूकों के आधार पर बंटवारें का दावा न्यायालय हाजा में पेश किया हैं। वादिया विवादित जमीनों का बंटवारा कराकर अपना सेपरेट कराने की अधिकारी हैं। जिसकी दादरसी के लिए यह दावा पेश किया है। वादिया द्वारा पूर्व में कभी कोई बंटवारे का दावा किसी भी अदालत में पेश नही किया हैं, ना ही पहले वादिया ने बंटवारें व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी चाही है। पिछले दावों में यदि वादिया पक्षकार भी हो तो भी वादिया बंटवारा कराकर अपने हिस्से को सेपरेट कराने के लिए अलग से दावा पेश कर सकती है। कानून के किसी भी प्रावधान में इस तरह का दावा करना वार्ड नही है। इसलिए भी दर0 खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण ने दावा हाजा कानून के किस प्रावधान में वर्जित है, दर्ज नही किया हैं। इसलिए O 7 R 11 (D) C.P.C. इस दर0 पर लागू नही होती हैं। दावा व दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादीगण ने अभी तक जवाब

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पेश नही किया है। बिना जवाब दावा पेश किये दर0 हाजा चलने योग्य नही है। प्रतिवादीगण समस्त कानूनी एतराज जवाब दावे में तहरीर कर सकते है और उन अभिवचनों के आधार पर तनकीआत कायम की जाकर उन तनकीयों पर अदालत का निर्णय होता हैं। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि वादीया द्वारा उक्त उनवानी दावा एवं दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा गलत तथ्यों के आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्णित है। उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात के बावत् पूर्व में उनवानी दावा ''निरंजन बनाम रूपसिंह वगै0'' दावा सं0 27/2015 प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें वादिया वाहैसियत प्रतिवादी सं0 5 पक्षकार नही है और वादिया ने उक्त दावा में उपस्थित होकर पैरवी की है तथा एक अन्य दावा उनवानी अमरसिंह वगै0 बनाम रूपसिंह वगै0 दावा सं0 29/2015 प्रस्तुत हुआ जिस दावा में वादिया वाहैसियत प्रतिवादी सं0 6 पक्षकार रही जो दोनों ही दावा समेकित निर्णय के द्वारा दिनांक 27.01.2026 को निर्णित कर खारिज कर दिये गये जिनकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष लंबित है। पूर्व के उक्त दोनें दावे इन्हीं आराजीयात के बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् थे लेकिन वादिया ने उक्त दावों को छिपाते हुए यह नवीन वाद प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार चलने योग्य नही है और विधि वर्जित होने से इसी स्तर आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के अधीन खारिज होने योग्य है। अंत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित जमीनों के संबंध दर0 में दर्ज दावों की व उनके निर्णयों की व अपील लंबित होने से संबधित कोई दस्तावेज पेश नही किये हैं। दस्तावेज के अभाव में दर0 हाजा हर हाल में खारिज होने योग्य हैं। वादिया विवादित जमीनों में सहखातेदार हैं। वादिया शामलाती रूप से विवादित जमीनों पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है और वादिया ने अपनी खातेदार हकूकों के आधार पर बंटवारें का दावा न्यायालय हाजा में पेश किया हैं। वादिया विवादित जमीनों का बंटवारा कराकर अपना सेपरेट कराने की अधिकारी हैं। जिसकी दादरसी के लिए

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

यह दावा पेश किया है। वादिया द्वारा पूर्व में कभी कोई बंटवारे का दावा किसी भी अदालत में पेश नही किया हैं, ना ही पहले वादिया ने बंटवारें व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी चाही है। पिछले दावों में यदि वादिया पक्षकार भी हो तो भी वादिया बंटवारा कराकर अपने हिस्से को सेपरेट कराने के लिए अलग से दावा पेश कर सकती है। कानून के किसी भी प्रावधान में इस तरह का दावा करना वार्ड नही है। इसलिए भी दर0 खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण ने दावा हाजा कानून के किस प्रावधान में वर्जित है, दर्ज नही किया हैं। इसलिए O 7 R 11 (D) C.P.C. इस दर0 पर लागू नही होती हैं। दावा व दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादीगण ने अभी तक जवाब पेश नही किया है। बिना जवाब दावा पेश किये दर0 हाजा चलने योग्य नही है। प्रतिवादीगण समस्त कानूनी एतराज जवाब दावे में तहरीर कर सकते है और उन अभिवचनों के आधार पर तनकीआत कायम की जाकर उन तनकीयों पर अदालत का निर्णय होता हैं। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भमि से संबंधित वाद मुकदमा नंबर 27/15 उनवानी हरी वगै0 बनाम रूपसिंह वगै0, मुकदमा नंबर 29/15 उनवानी अमरसिंह वगै0 बनाम रूपसिंह वगै0 दिनांक 27.01.2026 को न्यायालय हाजा द्वारा अंतिम निर्णय से खारिज किये जा चुके है। जो बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के ही दावे थे जिनमें वादीया वतौर प्रतिवादी नंबर 5 प्रतिवादी रही है। उक्त दोनों प्रकरण की जानकारी वादीया को दायरी दावा दिनांक 27.02.2026 से पूर्व रही है। दावा वादीया रेसज्यूडिकेटा होने से धारा 11 सीपीसी एवं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वार्ड बाई लॉ होने से एवं वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रतिवादी नंबर 5 लगायत 12 स्वीकार किया जाता है। दावा वादीया वादकारण के अभाव में एवं रेसज्यूडिकेटा होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज0)